

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला-अलवर

दुखी पं. ब. नाम..... फकरा मुकर वर्य
मुकरमा..... रि. आ-188 न. 1/12.2/18 सन्.....

	हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--	-----------------------------------	---

6.11.18
वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
..... पेश किए
.....
नकल दिलाई गई। वास्ते..... पत्रावल.
दिनांक..... को पेश हो।

8.1.19
वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
..... पेश किए
.....
नकल दिलाई गई। वास्ते..... पत्रावल.
दिनांक..... को पेश हो।

12.3.19 :-
पत्रावल पेश हुआ। अपीलवादी उपखण्ड
प्रतिवादीगण को लखनौ पेश करने
की विवक्षित थी। पत्रावल दि. 14.5.19
को पेश हो।

14.5.19 :- पत्रावल पेश हुआ। उभय-
पक्षकक्षम व इनके वकील को क्र. 2
आपना दिखाने का कार्य भी उपखण्ड
शाख के 5.35 बजे सुनने में सुप्रीम
अदालत को अरम पेशी में शेरारिज
बिधा जाता है। पत्रावली निहाय शमर
को पत्र दारिवाह दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)